<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 09/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमआईएएल/डीएफ और एमडीएफ/2020-21

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 09/2022-23

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 30 जून, 2022

विषय : छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई में परियोजना निर्माण कार्य के लिए विकास शुल्क (डीएफ) और मेट्रो परियोजना कार्य के लिए मेट्रो विकास शुल्क (एमडीएफ) लगाने के मामले में -विकास शुल्क(डीएफ) और मेट्रो विकास शुल्क (एमडीएफ) लगाने की अवधि बढ़ाने के संबंध में

1. ऐरा ने दिनांक 30.04.2021 तक कुल 3845.50 करोड़ रूपए की राशि संग्रहित करने के लिए दिनांक 21.12.2012 के अपने आदेश संख्या 29/2012-13 द्वारा परियोजना वित्तीयन के घाटे को पूरा करने के लिए प्रति अंतरदेशीय यात्री 100/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 600/- रूपए की दर से विकास शुल्क वसूल करने की मंजूरी दी है।

2. इसके अतिरिक्त ऐरा ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में मैट्रो निर्माण कार्य के वित्तीयन के लिए दिनांक 28.01.2016 के अपने आदेश संख्या 46/2015-16 द्वारा कुल 518.00 करोड़ रूपए की राशि के लिए प्रति अंतरदेशीय यात्री 20/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 120/- रूपए की दर से विकास शुल्क वसूल करने की मंजूरी दी है। इन दोनों वसूलियों को प्रति अंतरदेशीय यात्री 120/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 720/- रूपए के संयुक्त विकास शुल्क में मिला दिया गया था और इसे 31.03.2021 तक संग्रहित किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

3. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 02.08.2011 को अधिसूचित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्रमुख हवाईअड्डे) विकास शुल्क नियम, 2011 में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए यह जिम्मेदारी निर्धारित की गई है कि वह विकास शुल्क निधि का प्रबंध करे और इसके लेखे तैयार करने तथा उनकी लेखा परीक्षा करने सहित विकास शुल्क निधि के संग्रहण और उपयोग को मॉनीटर भी करे।

4. प्राधिकरण ने एएआई द्वारा प्रस्तुत दिनांक 21.12.2020 के पत्र संख्या एएआई/एमसी/मायल-06/डीएफ-ए/2020/165 और दिनांक 12.11.2020 के एएआई/एमसी/मायल-06/2020/115 के आधार पर तथा कोविड-19 महामारी के कारण यात्री यातायात में आई भारी कमी की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई को 31.03.2022 तक 120/- रूपए प्रति अंतरदेशीय यात्री और 720/- रूपए प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री की दर से विकास शुल्क संग्रहित करना जारी रखने के अनुमति देते हुए दिनांक 24 मार्च, 2021 का आदेश संख्या 66/2020-21 जारी किया था।

5. प्राधिकरण ने दिनांक 24 मार्च, 2021 के आदेश संख्या 66/2020-21 के निर्णय संख्या 5 (ii) के अनुसार दिसम्बर, 2021 में उक्त मामले में स्थिति की समीक्षा की और महामारी के कारण दोनों वसूलियों के संग्रहण में कमी होने की वजह से मार्च, 2022 के बाद मायल द्वारा डीएफ और एमडीएफ की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किए जाने पर एएआई से लेखा परीक्षित रिपोर्टों के साथ-साथ ब्यौरेवार सिफारिशें मांगी। एएआई का दिनांक 16 मार्च, 2022 का जवाब प्राप्त होने पर प्राधिकरण ने मायल के दावे और एएआई की सूचना में विभिन्न असंगतियां देखी। इसके अलावा एएआई ने डीएफ और एमडीएफ की लेखा परीक्षा रिपोर्टों और मायल के दावे के कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया जिनका समाधान किए जाने की जरूरत थी।

परिणामस्वरूप प्राधिकरण ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई को 30.06.2022 तक 120/- रूपए प्रति अंतरदेशीय यात्री और 720/- रूपए प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री की दर से विकास शुल्क संग्रहित करना जारी रखने की अनुमति देते हुए दिनांक 28 मार्च, 2022 का आदेश संख्या 49/2021-22 जारी किया था।

6. उपर्युक्त को देखते हुए एएआई ने दिनांक 23.06.2022 के पत्र संख्या एएआई/एमसी/मायल-06/डीएफ-ए/2022/515 द्वारा यह पुष्टि की है कि 31.03.2022 तक मायल द्वारा प्रस्तुत विकास शुल्क के बिल की वास्तविक राशि 3845.50 करोड़ रूपए के कुल अनुमत विकास शुल्क की तुलना में 3385.02 करोड़ रूपए (लेखा परीक्षित रिपोर्ट के अनुसार) है। एएआई ने यह भी कहा है कि अप्रैल और मई, 2022 में मायल ने 56.27 करोड़ रूपए की कुल राशि संग्रहित की है। एएआई ने सिफारिश की है कि मायल द्वारा बिल में दर्शाई जाने वाली 404.23 करोड़ रूपए के अंतर की राशि को छोड़कर 31.05.2022 तक के बिल की संचयी राशि 3441.29 करोड़ रूपए है।

7. एएआई ने दिनांक 27.06.2022 की ई-मेल द्वारा यह भी पुष्टि की है कि 31.05.2022 को एमडीएफ के बिल की राशि में कुल 52.81 करोड़ रूपए कम है। एएआई ने यह भी सूचित किया है कि जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक की अवधि की एमडीएफ लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है और अप्रैल, 2022 तथा मई, 2022 के लिए एमडीएफ की दर्ज की गई राशि मायल द्वारा प्रस्तुत जीएसटी के दावे के आधार पर ली गई है। यह अनंतिम है और एएआई द्वारा नियुक्त निष्पक्ष लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जानी है।

8. इसलिए एएआई की पुष्टि के आधार पर प्राधिकरण ने मायल के दिनांक 16.06.2022 के पत्र संख्या मायल/सीओ/ऐरा-डीएफ/2022/3 द्वारा महामारी के कारण दोनों वसूलियों के संग्रहण में आई कमी की वजह से डीएफ और एमडीएफ परियोजना के लिए वसूली की अवधि 30.06.2022 से आगे बढ़ाने के अनुरोध को मान लिया है। परंतु मायल ने दिनांक 17..06.2022 की ई-मेल द्वारा एएआई और मायल की प्रस्तुति में अंतर के फलस्वरूप डीएफ और एमडीएफ के लिए वसूली योग्य अलग-अलग राशियां प्रस्तुत की है।

9. अत: मायल और एएआई के अनुसार मुद्दों को हल करने और आंकडों का समाधान करने के लिए समय की कमी को देखते हुए तथा वर्तमान के यात्री यातायात की संख्या को भी ध्यान में रखकर स्वीकृत डीएफ और एमडीएफ की राशि वसूल करने के लिए डीएफ और एमडीएफ की वसूली की अवधि 30.06.2022 से आगे आगे बढ़ाना आवश्यक है। तदनुसार प्राधिकरण डीएफ/एमडीएफ की अवधि 31.03.2023 तक बढ़ाने का निर्णय लेता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण एएआई द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत वास्तविक लेखा परीक्षित आंकडों के आधार पर उक्त मामले की समीक्षा करेगा और एएआई की सिफारिश पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई/आदेश जारी किए जाएंगे।

<u>आदेश</u>

उपर्युक्त को देखते हुए विनियमित निकाय द्वारा संग्रहित की जा रही डीएफ और एमडीएफ की वसूली के संबंध में कोई भी विनियामक कमी न रहने देने के लिए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) बी) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई को अंतरिम उपाय के तौर पर 01.07.2022 से 31.03.2023 तक 120/- रूपए प्रति अंतरदेशीय यात्री और 720/- रूपए प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री की दर से समेकित डीएफ और एमडीएफ संग्रहित करना जारी रखने की अनुमति दी जाती है।

(ii) एएआई द्वारा प्रस्तुत वास्तविक लेखा परीक्षित आंकडों के आधार पर स्थिति की समीक्षा की जाएगी और यथा समय आगे निर्णय लिया जाएगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री प्रकाश तुलसैनी, **मुख्य कार्यपालक अधिकारी**,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
सीएसएमआई हवाईअड्डा, प्रथम तल, टर्मिनल **I**,
सांताक्रूज (पूर्व), मुम्बई -400 099.

<u>प्रतिलिपि,</u>

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – **110003**

(ii) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्री राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–**110003**